

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

क्रमांक / भर्ती शाखा / 2018

दिनांक / / 18

आदेश

चयन समिति की अनुशंसा के अनुरूप अस्थाई रूप से संविदा आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन माह की समयावधि के लिए नियत वेतन पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर/महू/रीवा में संविदा टीचिंग एसोसिएट्स का नियत मानदेय प्रतिमाह एम.व्ही.एस-सी./एम.व्ही.एस-सी एण्ड ए.एच. हेतु रु. 25,000/- एवं पी-एच.डी. हेतु रु. 35,000/- की दर से निम्नानुसार कॉलम नं. 4 में दर्शाये गए स्थान पर संविदा टीचिंग एसोसिएट के पद पर पदस्थ किया जाता है -

क.	नाम	श्रेणी	विभाग/पदांकित स्थान
1	2	3	4
1.	प्रगति पटेल	अनारक्षित	वेटेरनरी फिजियोलॉजी/पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू
2.	लोकेश कुमार मोहबे	अनारक्षित	वेटेरनरी पैथोलॉजी/पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर
3.	मोना शर्मा	अनारक्षित	एनीमल जेनेटिक्स एण्ड ब्रीडिंग/पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, रीवा
4.	किरन पाल सिंह सैनी	अनारक्षित	लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एण्ड मैनेजमेंट/पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू
5.	सिमरन जीत कौर	अनारक्षित	लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी/ पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर
6.	प्रियंका पाण्डेय	अनारक्षित	वेटेरनरी सर्जरी एण्ड रेडियोलॉजी/पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर
7.	शिवांगी शर्मा	अनारक्षित	वेटेरनरी मेडीसिन/ पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर

शर्तें:-

- संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा आदेश जारी होने के 15 दिवस तक अपना पदभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में संविदा नियोजन बिना सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा।
- विश्वविद्यालय के कार्य से दौरे पर जाने पर यात्रा भत्ता विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुरूप देय होगा।
- इस संविदा का पर्यावसान उसके जारी रहने के दौरान किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा अन्य पक्ष को उस आशय में लिखित रूप से कम से कम 1 माह की सूचना देकर किया जा सकेगा।
- इस संविदा के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के लिए विधि पूर्ण होगा कि वह इस संविदा के अस्तित्व में रहने के दौरान किसी भी समय सेवाएँ समाप्त कर दें।
- नियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के तत्काल पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी के साथ स्वयं के व्यय पर 100 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर संलग्न प्रारूप पर करार निष्पादित करना होगा।
- संविदा नियुक्ति की दशा में संविदा टीचिंग एसोसिएट दी गई नियुक्ति के आधार पर उनके भविष्य में नियमितिकरण की माँग, किन्हीं पेंशन संबंधी सुविधाओं अथवा इत्यादि का हकदार नहीं होगा।
- अभ्यर्थी को भारतीय लोकतंत्र के प्रति सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी पूर्ण आचरण का निर्वहन करना पड़ेगा।
- अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन का शाररिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रदाय करना होगा। अन्यथा मानदेय आहरित नहीं किया जावेगा।
- उक्त चयन प्रक्रिया में इस विश्वविद्यालय द्वारा म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1994 के उपबंधों का पूर्णतः पालन किया गया है।

क्रमशः.....2

//2//

10. सविदा नियोजित सेवकों को 1 वर्ष में 13 आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।
11. किसी भी प्राकर के वाद का कार्यक्षेत्र जबलपुर स्थित न्यायालय होगा।

कुलपति जी के आदेशानुसार


sd/-
कुलसचिव

पृ.क. 1526/भर्ती शाखा/2018

दिनांक 28/05/18

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधिष्ठाता संकाय, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर/महू/रीवा।
3. लेखानियंत्रक, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
4. स्थापना शाखा-1/शैक्षणिक शाखा, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
5. सर्व संबंधित डॉ.
6. निज सचिव, माननीय कुलपति जी, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
7. सुरक्षा नस्ती।


कुलसचिव

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

कमांक / भर्ती शाखा / 2018

दिनांक / / 18

आदेश

चयन समिति की अनुशंसा के अनुरूप अस्थाई रूप से संविदा आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन माह की समयावधि के लिए पशुचिकित्सा पत्रोपाधि महाविद्यालय हेतु संविदा टीचिंग एसोसिएट्स का नियत मानदेय प्रतिमाह रु. 25,000/- की दर से निम्नानुसार कॉलम नं. 4 में दर्शाये गए स्थान पर संविदा टीचिंग एसोसिएट के पद पर पदस्थ किया जाता है -

क.	नाम	श्रेणी	पदांकित स्थान
1	2	3	4
1	प्रगति पटेल	अनारक्षित	वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, जबलपुर
2	सरिता मंगल	अनारक्षित	वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, मुरैना
3	सिरसत श्रद्धा दन्यान्देव	अनारक्षित	वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, महु
4	रश्मि विश्वकर्मा	अनारक्षित	वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल
5	सालू साहू	अनारक्षित	वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, जबलपुर
6	ऋषिकांत चौरे	अनारक्षित	वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, रीवा
7	सचिन सिंह	अनारक्षित	वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, रीवा
8	शिवांगी शर्मा	अनारक्षित	वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल
9	संतोष कुमार प्रजापति	अनारक्षित	वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, मुरैना
10	कुलदीप गौतम	अनारक्षित	वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, महु
11	सुभाष सिंह परिहार	अनारक्षित	वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, रीवा
12	अंजली सिंह	अनारक्षित	वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, महु
13	अमित कुमार पाण्डेय	अनारक्षित	वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल
14	अमित पाण्डेय	अनारक्षित	वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, जबलपुर
15	प्रतिभा पड़वार	अ.ज.जा.	वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, जबलपुर
16	रूपेन्द्र सिंह	अ.ज.जा.	वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, मुरैना
17	नीरज वर्मा	अ.ज.जा.	वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, रीवा
18	कमलेश जमरा	अ.ज.जा.	वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, महु
19	मुकुंद सिंह चौहान	अ.ज.जा.	वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल
20	पंकज पुशाम	अ.ज.जा.	वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, मुरैना
21	किरण चिकवा	अ.जा.	वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, जबलपुर
22	सचिन वर्मा	अ.जा.	वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल
23	रविकांत खरे	अ.जा.	वेटरनरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, मुरैना

शर्तें:-

1. संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा आदेश जारी होने के 15 दिवस तक अपना पदभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में संविदा नियोजन बिना सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा।
2. विश्वविद्यालय के कार्य से दौरे पर जाने पर यात्रा भत्ता विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुरूप देय होगा।
3. इस संविदा का पर्यावसान उसके जारी रहने के दौरान किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा अन्य पक्ष को उस आशय में लिखित रूप से कम से कम 1 माह की सूचना देकर किया जा सकेगा।
4. इस संविदा के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के लिए विधि पूर्ण होगा कि वह इस संविदा के अस्तित्व में रहने के दौरान किसी भी समय सेवाएँ समाप्त कर दें।



5. नियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के तत्काल पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी के साथ स्वयं के व्यय पर 100 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर संलग्न प्रारूप पर करार निष्पादित करना होगा।
6. संविदा नियुक्ति की दशा में संविदा टीचिंग एसोसिएट दी गई नियुक्ति के आधार पर उनके भविष्य में नियमितिकरण की माँग, किन्हीं पेंशन संबंधी सुविधाओं अथवा इत्यादि का हकदार नहीं होगा।
7. अभ्यर्थी को भारतीय लोकतंत्र के प्रति सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी पूर्ण आचरण का निर्वहन करना पड़ेगा।
8. अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन का शाररिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रदाय करना होगा। अन्यथा मानदेय आहरित नहीं किया जावेगा।
9. उक्त चयन प्रक्रिया में इस विश्वविद्यालय द्वारा म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) नियम 1994 के उपबंधों का पूर्णतः पालन किया गया है।
10. संविदा नियोजित सेवकों को 1 वर्ष में 13 आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।
11. किसी भी प्रकार के वाद का कार्यक्षेत्र जबलपुर स्थित न्यायालय होगा।

कुलपति जी के आदेशानुसार

२१-
कुलसचिव

पृ.क.1539 भर्ती शाखा / 2018

दिनांक 28/05/18

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधिष्ठाता संकाय, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. प्रभारी प्राचार्य, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर।, श्री चन्द्रोपाधि महाविद्यालय जबलपुर / मडू / शिवा / मुरेना / भोपाल
3. लेखानियंत्रक, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
4. स्थापना शाखा-1 / शैक्षणिक शाखा, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
5. सर्व संबंधित डॉ.
6. निज सचिव, माननीय कुलपति जी, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
7. सुरक्षा नस्ती।

Gopalendra
कुलसचिव

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर(म.प्र.)

क्रमांक / भर्ती शाखा / 2018

दिनांक / / 18

आदेश

चयन समिति की अनुशंसा के अनुरूप अस्थाई रूप से संविदा आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन माह की समयावधि के लिए मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर में संविदा टीचिंग एसोसिएट्स का नियत मानदेय प्रतिमाह रु. 25,000/- की दर से निम्नानुसार कॉलम नं. 4 में दर्शाये गए स्थान पर संविदा टीचिंग एसोसिएट के पद पर पदस्थ किया जाता है -

क.	नाम	श्रेणी	पदांकित स्थान
1.	सोनवणे अजय एकनाथ	अनारक्षित	मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर

शर्तें:-

1. संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा आदेश जारी होने के 15 दिवस तक अपना पदभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में संविदा नियोजन बिना सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा।
2. विश्वविद्यालय के कार्य से दौरे पर जाने पर यात्रा भत्ता विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुरूप देय होगा।
3. इस संविदा का पर्यावसान उसके जारी रहने के दौरान किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा अन्य पक्ष को उस आशय में लिखित रूप से कम से कम 1 माह की सूचना देकर किया जा सकेगा।
4. इस संविदा के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के लिए विधि पूर्ण होगा कि वह इस संविदा के अस्तित्व में रहने के दौरान किसी भी समय सेवाएँ समाप्त कर दें।
5. नियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के तत्काल पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी के साथ स्वयं के व्यय पर 100 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर संलग्न प्रारूप पर करार निष्पादित करना होगा।
6. संविदा नियुक्ति की दशा में संविदा टीचिंग एसोसिएट दी गई नियुक्ति के आधार पर उनके भविष्य में नियमितकरण की माँग, किन्हीं पेंशन संबंधी सुविधाओं अथवा इत्यादि का हकदार नहीं होगा।
7. अभ्यर्थी को भारतीय लोकतंत्र के प्रति सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी पूर्ण आचरण का निर्वहन करना पड़ेगा।
8. अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन का शाररिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रदाय करना होगा। अन्यथा मानदेय आहरित नहीं किया जावेगा।
9. उक्त चयन प्रक्रिया में इस विश्वविद्यालय द्वारा म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1994 के उपबंधों का पूर्णतः पालन किया गया है।
10. संविदा नियोजित सेवकों को 1 वर्ष में 13 आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।
11. किसी भी प्रकार के वाद का कार्यक्षेत्र जबलपुर स्थित न्यायालय होगा।

कुलपति जी के आदेशानुसार

sd/-
कुलसचिव

पृ.क. 1528 भर्ती शाखा / 2018

दिनांक 28/5/18


प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधिष्ठाता संकाय, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. प्रभारी प्राचार्य, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर।
3. लेखानियंत्रक, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।

क्रमशः.....2

11211

4. स्थापना शाखा-।/शैक्षणिक शाखा, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
 5. सर्व संबंधित डॉ.।
 6. निज सचिव, माननीय कुलपति जी, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
- ✓ सुरक्षा नस्ती।


कुलसचिव
१

FORM OF AGREEMENT

This agreement is made on Day of between
(Name of employee)..... son/daughter of
..... aged.....
resident of
(hereinafter referred to as employee) as the second party.

Where the employer vide order no. dated
is being engaged Shri/Smt./Ku
on contract as (Name of the post)
Place Districtand the said
..... has agreed for the contract
appointment on the said post under N.D.P.C.V.V. Jabalpur under contract
service (Appointment of service) rules 2016.

Now, it is agreed between the parties as follows :-

- (a) Both the parties shall be bound by contract Rules and any breach of any provision said rules by the employees shall be deemed to be misconduct.
- (b) The employed shall be deemed to be contract services from the joining At the place of posting and the monthly contract amount shall be paid from that date.
- (c) In case of any dispute regarding this contract. The jurisdiction shall be the court situated at Jabalpur only.
- (d) It shall be compulsory for the contract employee to actively perform the work assigned to him in Vishwa Vidyalaya interest.
- (e) In case of any misconduct or indulgent in any criminal activity. The employer shall have the right to terminate the service of such contract employee after giving reasonable opportunity of being heard.

In witness whereof the parties here to signed this agreement on the date and the year respectively mentioned herein above :-

Witness

Signature
Name
Address
.....

Parties

Signature
Name
Address
.....

Signature
Name
Address
.....

Signature
Name
Address
.....

Registrar
NDPCVV, Jabalpur